(वाद सं0–2937/4/5/2020)

22.09.2021

प्रसंगाधीन मामला, दिल्ली सहारनपुर हाइवे पर पलायन कर रहे 10 बिहारी मजदूरों को उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से कुचलने से 6 बिहारी मजदूरों की मृत्यु से संबंधित है।

उक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव के पत्र के साथ अनुलग्नित जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन घटना की जांच, आयुक्त, सहारनपुर प्रमंडल, सहारनपुर द्वारा की गयी। माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार के आश्रितों को 02–02 लाख रुपये एवं प्रत्येक घायल को 50–50 हजार रुपये की अनुग्रह अनुदान की राशि उनके बैंक खाता में हस्तांतरित कर दी गयी है साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के आश्रित को 10 हजार रूपये की राशि भी परिवहन आयुक्त, लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा कोई प्रत्युत्तर राज्य आयोग को अब तक समर्पित नहीं किया गया है। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि परिवादी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान की गयी राहत से संतुष्ट है।

अतः उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिवेदन (पृ0–116–54/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>